


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082023-248410
CG-DL-E-29082023-248410

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496]
No. 496]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त, 29, 2023/भाद्र 7, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST, 29, 2023/BHADRA 7, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2023

(आय-कर)

सा.का.नि. 636(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 615(अ) दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचना सं. 65/2023 दिनांक 18 अगस्त, 2023 में ---

- (1) राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. सं. 615(अ) दिनांक 18.08.2023 के पृष्ठ 3 पर तीसरे परतुक में “परंतु यह भी कि जहां वास-सुविधा का स्वामित्व नियोजक के पास है” शब्दों के बाद और “तथा वही वास-सुविधा” शब्दों के पूर्व, “या जहां वास-सुविधा नियोजक द्वारा पट्टे या किराए पर ली गई हो” शब्दों को रखा जाए।

[अधिसूचना सं. 72/2023/फा सं. 370142/21/2023-टीपीएल भाग (1)]

अमृत प्रीतम चेतिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th August, 2023

(INCOME-TAX)

G.S.R. 636(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes) No. 65/2023 dated 18th August, 2023, published vide No. G.S.R. 615(E), dated 18.08.2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), —

- (i) In line 1 of page 6 of the Gazette Notification G.S.R. No. 615 (E) dated 18.08.2023, after the words “Provided also that where the accommodation is owned” and before the words “by the employer and the same accommodation is”, the words “or taken on lease or rent” shall be inserted.

[Notification No. 72/2023/F. No.370142/21/2023-TPL Part(1)]

AMRIT PRITOM CHETIA, Under Secy.